निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से एक की मौत, चार घायल मजदूर घायल

घायलों को आसपुर अस्पताल पहुंचाया, एक गंभीर घायल को डूंगरपुर रेफर किया

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के गोल गांव में एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आसपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा गोल गांव निवासी जीतू मेहता के निर्माणाधीन मकान में हुआ। मजदूर छत की भराई (आरसीसी) का काम कर रहे थे, तभी अचानक छत का पूरा ढांचा ढह गया। मलबे के नीचे दबने से वहां काम कर रहे मजदूरों में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में शेरपुर निवासी लक्ष्मण मीणा की मौत हो गई। वहीं सडा

- **मजदूर छत की भराई (आरसीसी) का काम कर रहे थे, तभी अचानक छत का पूरा ढांचा ढह गया**

निवासी सूरजमल, दोलपुरा निवासी कंकू, सडा निवासी कालू और सडा निवासी दिनेश घायल हो गए। घायलों को तुरंत आसपुर अस्पताल पहुंचाया गया,जहां से एक गंभीर घायल को डूंगरपुर रेफर किया गया है। तीन अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही आसपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। अस्पताल परिसर में भी लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

अजमेर में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, तीन मजदूर घायल

अजमेर, (निसं)। अलवरगेट थाना क्षेत्र स्थित कालू की ढाणी में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक निर्माणाधीन मकान की छत अचानक गिर गई। हादसे में वहां काम कर रहे ठेकेदार सहित तीन मजदूर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है।

मकान मालकिन इन्द्रा देवी ने बताया कि घर की प्रथम मंजिल पर एक कमरे का निर्माण कार्य चल रहा था। सुबह मजदूर छत पर पट्टी डालने का काम कर रहे थे। इसी दौरान

- **आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, उपचार जारी**
- **मजदूर छत पर पट्टी डाल रहे थे, इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से छत का हिस्सा गिर पड़ा**

अचानक संतुलन बिगड़ने से छत का हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। छत के साथ ही दीवार का हिस्सा भी गिर गया, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। मकान मालिक इन्द्रा देवी ने बताया कि वह मजदूरों को चाय देने जा रही थी, तभी अचानक तेज आवाज के साथ छत गिरने का हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकाला। हादसे में ठेकेदार समेत तीनों मजदूरों को चोटें आई हैं। सभी को तुरंत जवाहर लाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है।

बंद सिनेमाघर में सट्टा चलाते संचालक सहित 10 आरोपियों को दबोचा

जिला स्पेशल टीम ने हिसाब की डायरियां, मोबाइल और केलकुलेटर जब्त किए।

टोंक, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक टॉकीज में छापा मारकर सट्टा लगाते संचालक समेत दस आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान टीम ने सट्टा पर्ची पर सट्टा खेलते हुए आरोपियों से 14 हजार 125 रूपये नगद व करीब 3 लाख रुपए के हिसाब की डायरियां बरामद की है तथा आरोपियों के 10 मोबाइल और केलकुलेटर भी जब्त किए गए हैं।

जिला स्पेशल टीम प्रभारी

- **आरोपियों से 14 हजार की नगदी, करीब 3 लाख रुपए के हिसाब की डायरियां बरामद की**

ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के काफला बाजार स्थित टेगोर टॉकिज जो कई दिनों बंद पड़ा है, उसमें सट्टा लगाने की शिकायत मिल रही थी। जिला स्पेशल टीम ने प्लानिंग कर टॉकीज पर छापामार कार्यवाही की। इस दौरान टॉकीज संचालक समेत दस आरोपयिों को मौके पर सट्टा लगाते पकड़ लिया। आरोपियों के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस कार्यवाही में आरोपी सद्दाम पुत्र फरीद, शब्बीर पुत्र अहमद, महबूब पुत्र अयुब अली, अजीम पुत्र नईम, अजीम पुत्र मो. युनुस, मोईन पुत्र प्यारे मियां, महबूब पुत्र सलीम, गुलजार पुत्र जुल्फीकार, नरेन्द्र पुत्र लालाराम व मोहनलाल पुत्र चुन्नी लाल को गिरफ्तार किया है।

अवैध हथियार बनाकर बेचने वालों को सात-सात साल की जेल

अलवर, (निसं)। अलवर के एडीजे कोर्ट नंबर-1 के न्यायाधीश धीरज शर्मा ने अवैध हथियार बनाने, उनकी सप्लाई करने और पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में तीन आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

सरकारी वकील नवनीत तिवाड़ी के अनुसार, 28 अक्टूबर 2016 को नौगांव थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मूनपुर करमला के जंगलों में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा है और बड़ी मात्रा में हथियार तैयार कर सप्लाई

- **दस साल बाद आया फैसला, आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी**
- **पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए थे**

किए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को वर्दी में देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। कुछ देर की कार्रवाई के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। मौके से दो देशी कट्टे और चार जिंदा कारतूस आरोपियों के पास से बरामद किए गए। इसके अलावा हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे धौंकनी, नाल, ड्रिल मशीन, बट बनाने के टुकड़े, संडासी, शिकंजा मशीन, हथौड़ी, आरी, छेनी सहित अन्य सामान भी जब्त किया गया। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए थे, जिनमें 32 बोर की तीन पिस्टल, 12 बोर की पोना दुनाली और सिंगल नाली बंदूकें, 315 बोर की डबल बैरल और सिंगल बैरल बंदूकें, एक 12 बोर का देसी कट्टा, 315 बोर के 9 कट्टे, 35 बोर के 21 कारतूस और 12 बोर के 5 कारतूस शामिल हैं। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया, जिसके करीब 10 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने साहुन पुत्र इनायत (32) निवासी लहचोड़ी गोवर्धन, शाकिर पुत्र सम्मी (35) निवासी नंदेरा बास कामा और हनफा पुत्र चंदू (60) निवासी हातिया बरसाना को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

टोल पर धरना दे रहे लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का केस दर्ज

श्रीगंगानगर, (निसं)। श्रीगंगानगर-पदमपुर स्टेट हाइवे के 18 बीबी टोल प्लाजा पर टोल संग्रह बंद करने को आंदोलन कर रहे लोगों पर एफआईआर हो गई है। पीडब्ल्यूडी पदमपुर के एईएन नितेश बुडानिया की ओर से पदमपुर थाने में टोल संग्रहण रोकने, टेंट लगाकर रास्ता जाम करने और राजकार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच एएसआई सुनील बिश्नोई को सौंपी गई है।

उल्लेखनीय है कि टोल पर पांच मार्च से अनेक किसानों की ओर से

- **टोल संग्रहण रोकने, टेंट लगाकर रास्ता जाम करने और राजकार्य में बाधा डालने का आरोप**

धरना दिया जाकर टोल वसूली स्थायी रूप से बंद करने की मांग की जा रही है। किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि टोल वसूली के बूथ स्थायी तौर पर हटाए जाएं, क्योंकि वसूली का समय पूरा हो चुका है और कंपनी पहले से ही लागत से कहीं ज्यादा की वसूली कर चुकी है। इस संबंध में आंदोलनकारियों के बीच प्रशासन की कई दौर की वार्ताएं भी विफल हो चुकी हैं। दूसरी ओर टोल वसूली रुकने से कंपनी ने स्वयं का आर्थिक नुकसान होना बताकर हाईकोर्ट में अपील दायर की है।

मैसर्स दीपक एंड कंपनी के जोधपुर स्थित अधिवक्ता कमलदीपसिंह बोपाराय ने बताया कि टोल पर 5 मार्च से लोग धरना देकर बैठे हैं। जिला प्रशासन को इसका समाधान करवाने को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को जवाब पेश करने को कहा है। इसमें कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि पीडब्ल्यूडी की ओर से 4 मार्च से 2 जून 2026 तक टोल वसूली का समय बढ़ाया गया था। सड़क निर्माण के लिए हुई निविदाओं में यह शर्त थी कि सड़क बनाने का पूरा खर्च कंपनी वहन करेगी। इसके बाद खर्च किए गए रुपयों को टोल के जरिए वसूला जाएगा। इसके लिए तय किए गए समय में विभिन्न कारणों से तत्कालीन सरकारों ने टोल वसूली रोकी। इस कारण कंपनी का अनुबंध में तय किया गया समय पूरा नहीं हो पाया है और अब फिर से वसूली रोक दी गई है।

132 ग्राम अफीम जब्त, बाइक सहित युवक को पकड़ा

अनूपगढ़, (निसं)। रामसिंहपुर पुलिस ने गांव 13 बीएलडी की रोही में गश्त के दौरान एक युवक को 132 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने परिवहन में काम में ली गई बाइक को भी जब्त कर लिया है।

रामसिंहपुर एसएचओ अजय कुमार ने बुधवार को बताया किउनकी टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान गांव 13 बीएलडी की रोही में एक युवक बाइक पर संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को शक होने पर युवक की तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से 132 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी मांगीलाल (28) पुत्र राजाराम निवासी 1 बीएलएम, श्रीविजयनगर को

- **श्रीगंगानगर में भी पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा**

गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अफीम और बाइक जब्त कर आरोपी के खिलाफ रामसिंहपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एसएचओ ने बताया कि इस मामले की जाँच जैतसर पुलिस थाने के एसएचओ गोविंद राम को सौंपी गई है। इस कार्रवाई में एएसआई सुखवीर सिंह, कॉन्स्टेबल राकेश कुमार, कॉन्स्टेबल जयपाल, कॉन्स्टेबल राकेश और कॉन्स्टेबल दुलीचन्द का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

हेरोइन की तस्करी के आरोप में दो युवक गिरफ्तार : श्रीगंगानगर के मीरा चौक चौकी पुलिस ने दो युवकों को हेरोइन की तस्करी के आरोप में पकड़ा है। आरोपियों के पास से 28 ग्राम हेरोइन तथा एक स्कूटी बरामद की गई। चौकी प्रभारी नरेशकुमार की ओर से जवाहरनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया गया है। मामले की जांच सेतिया चौकी प्रभारी रामेश्वर बिश्नोई को सौंपी गई है। आरोपियों को अदालत में पेशकर रिमांड पर लिया गया है। कार्रवाई अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि बापूनगर वार्ड 63 निवासी 23 वर्षीय मुकेश बाल्मीकि पुत्र पवन कुमार तथा 22 वर्षीय सौरभ वाल्मीकि पुत्र सोनू को पुरानी शुगर मिल एरिया में संविधान चौक के पास से स्कूटी सहित पकड़ा है।

रेलवे संपत्ति की चोरी के मामले में दो गिरफ्तार

अजमेर, (निसं)। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) अजमेर ने रेलवे संपत्ति की चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसी पाइप चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से रेलवे परिसर में एसी पाइप चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिससे रेलवे प्रशासन भी चिंतित था।

एएसआई जगदीश चन्द्र ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए आरपीएफ ने विशेष टीम का गठन किया और रेलवे परिसर में गश्त व निगरानी बढ़ा दी। टीम ने संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की, जिसके चलते दोनों आरोपियों को धर-दबोचा गया। आरपीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से रेलवे के एसी पाइप बरामद किए

- **आरपीएफ ने आरोपियों के कब्जे से रेलवे के एसी पाइप बरामद किए**

गए हैं।

पूछताछ के दौरान आरोपितों ने रेलवे परिसर से एसी पाइप चोरी करने की वारदात को स्वीकार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी के खिलाफ पाली मारवाड़ जंक्शन में भी चोरी के मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरपीएफ पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस चोरी के पीछे कोई बड़ा गिरोह तो सक्रिय नहीं है।

जोधपुर में ऑटो चालक और युवती ने आत्महत्या की

जोधपुर, (कास)। जोधपुर में एक ओटो चालक सहित एक युवती ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। शहर के प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में बोंबे मोटर के पास स्थित हरिराम की बगेची में एक व्यक्ति ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना का पता सुबह चला तब उसकी भाभी खाने के लिए बुलाने गई थी। मृतक अकेला ही रहता था। पुलिस ने दोपहर में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजन के सुपुर्द किया।

थानाधिकारी गोविंद व्यास ने बताया कि बोंबे मोटर स्थित हरिराम की बगेची में रहने वाले 55 साल के अली खां पुत्र जमाल खां का शव बुधवार सुबह घर में फंदे पर लटका मिला। उसने रस्सी से फंदा लगाकर खुदकुशी की। पड़ौस में रहने वाली उसकी भाभी खाने के लिए बुलाने गई तब फं दे पर लटके होने की जानकारी मिली। बाद में पुलिस को सूचना मिलने पर मौका मुआयना किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक समस्या का बताया गया है। वह तीन चार महिनों से बेरोजगार था और अपनी टैक्सी भी नहीं चला रहा था। दोपहर में कार्रवाई कर शव परिजन को सुपुर्द किया गया है। कोई शकसुबह जाहिर नहीं किया गया है, संभवत: उसने रात में या अलसुबह ही फंदा लगाया था।

दूसरी तरफ किराए पर रहने वाली युवती ने फंदा लगाकर दी जान दे दी। शहर के राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र के ठेंगड़ी नगर स्थित वस्त्र मंत्रालय के पीछे किराए पर रहने वाली एक युवती ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वह मूल रूप से उत्तरप्रदेश की रहने वाली थी औ पिछले पांच साल से यहां पर रह रही थी। बाद में शव हिन्दू सेवा मंडल के सुपुर्द किया गया। हालांकि पिता की तरफ से मर्ग में रिपोर्ट दी गई है।

राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने बताया कि मूलत: उत्तरप्रदेश के रामपुरा जालोन हाल ठेंगड़ी नगर वस्त्र मंत्रालय के पीछे रहने वाली संध्या (36) पुत्री रघुवीर सिंह ने अपने किराए के मकान में गत 24 मार्च को फंदा लगाकर खुदकुशी की थी। वह यहां पर अकेली रहती थी। उत्तरप्रदेश उसके परिजन को सूचना दी गई। परिजन मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। उसके पिता रघुवीर सिंह ने मर्ग में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी पांच साल पहले ही घर छोड़ दिया था और वह यहां अकेली रहती थी।

कृषि भूमि पर संचालित ईंट-भट्टे पर प्रशासन ने कार्रवाई की

मानपुरा माचैड़ी, (निसं)। कृषि भूमि व मंदिर का रेफरेंस लगी भूमि पर संचालित ईंट-भट्टे पर बुधवार को प्रशासन ने कारवाई करते हुए संचालक को ईंट भट्टे का संचालन नहीं करने को लेकर पाबंद किया है। मामला घटवाड़ा

- **मौके पर प्रशासन ने संचालक को ईंट-भट्टे का संचालन नहीं करने को लेकर पाबंद किया**
- **मानपुरा व घटवाड़ा में कृषि भूमि पर एक दर्जन से अधिक ईंट-भट्टे संचालित हैं**

स्थित सर्वेश ईंट-भट्टे का हैं। प्रशासन ने यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत की है। हालांकि उक्त भट्टे के आसपास के तीन किलोमीटर के क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक ईंट-भट्टे संचालित हैं और जिनके संचालन पर रोक लगाने के प्रशासन के पास आदेश भी हैं लेकिन बाकी के ईंट-भट्टा पर कारवाई नहीं हो रही हैं।

जानकारी के अनुसार बुधवार को आमेर नायाब तहसीलदार सीताराम, गिरदावर बोदूराम जाट, हल्का पटवारी शिवकुमार गुर्जर घटवाड़ा स्थित सर्वेश ईंट-भट्टे पर पहुँचे और कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए भट्टे का मौका निरीक्षण किया। मौके पर भट्टा संचालक ने करवाई का विरोध भी किया कि सभी भट्टे कृषि भूमि पर संचालित हैं तो एक भट्टे पर ही करवाई क्यों की जा रही है। मौके पर मौजूद

घटवाड़ा में स्थित ईंट-भट्टे पर प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण कर फर्द रिपोर्ट बनाकर सुनाई

नायाब तहसीलदार ने एसीएम कोर्ट का आदेश बताया और कारवाई करने की बात कही। प्रशासन ने ईंट-भट्टे का मौका निरीक्षण कर फर्द रिपोर्ट बनाई और सुनाई। साथ ही भट्टा संचालक को भट्टे को बंद रखने के लिए पाबन्द किया। उक्त ईं- भट्टा कृषि भूमि पर संचालित है। भूमि का रूपांतरण भी नहीं करवाया हुआ है साथ ही जमाबंदी में सीताराम जी मंदिर का रेफरेंस नॉट भी लगा हुआ है।जिसको लेकर एसीएम कोर्ट आमेर ने ईंट भट्टे को सीज करने के आदेश प्रशासन को दिए हैं।

गौरतलब है कि मानपुरा माचैड़ी क्षेत्र में संचालित करीबन एक दर्जन से अधिक ईंट भट्ठा की आमेर तहसीलदार ने सीज करने के आदेश दे रखे हैं लेकिन ईंट भट्ठा बिना रोक टोक के संचालित हो रहे है।क्षेत्र में संचालित अधिकांश ईंट भट्ठा कृषि भूमि पर बिना व्यवसायिक रूपांतरण के वर्षों से संचालित हो रहे है।लेकिन प्रशासन कारवाई नही कर रहा है।

करीब तीन महीने पहले आमेर तहसीलदार ने सभी भट्ठा की मौका रिपोर्ट लेकर आदेश पारित किया था कि ईंट-भट्ठा के संचालन पर रोक लगाई जाए और इस संबंध में सम्बंधित हल्का पटवारी व गिरदावर को निर्देशित करते हुए भट्ठा को सीज करने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक कोई करवाई नहीं की गई। वहीं घटवाड़ा के सर्वेश भट्ठा पर बुधवार को हुई कार्रवाई का इसी आधार पर भट्ठा संचालक ने विरोध भी जताया है। मानपुरा व घटवाड़ा में अवैध रूप से संचालित एक दर्जन से अधिक ईंट-भट्टे मिट्टी का भी अवैध दोहन कर रहे हैं। ईंट-भट्ठे संचालक किसानों की जमीन से मिट्टी खरीदते हैं व बहुत गहराई तक मिट्टी निकालकर दोहन कर रहे हैं जो नियमानुसार अवैध हैं। मिट्टी के अवैध दोहन से क्षेत्र में जगह-जगह गहरे खड्डे नजर आते हैं।

सीताराम चौधरी, नायाब तहसीलदार आमेर का कहना है कि घटवाड़ा स्थित सर्वेश ईंट-भट्ठे को कब्जेराज लेने का एसीएम कोर्ट आमेर से आदेश है, जिसको लेकर कारवाई की गई है। साथ ही संचालक को ईंट-भट्ठे को संचालित नहीं करने के लिए कहा है व यथा स्थिति बनाए रखने को पाबंद किया है।

हनुमानगढ़ : सादुल ब्रांच नहर में डूबने से दो युवकों की मौत

नहर में पूजन सामग्री विसर्जन के दौरान हादसा हुआ

हनुमानगढ़, (निसं)। जंक्शन क्षेत्र में बुधवार को सादुल ब्रांच नहर में पूजन सामग्री विसर्जन के दौरान नहर में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार यह घटना बेबी हैप्पी कॉलेज के नजदीक सादुल ब्रांच नहर में हुई। तीनों युवक पूजन सामग्री विसर्जन के लिए नहर पर पहुंचे थे। बताया गया कि संतुलन बिगड़ने से वे नहर में गिर गए और तेज बहाव में बहने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपदा प्रबंधन टीम की सहायता से तीनों युवकों को नहर से बाहर निकाला गया। मौके पर एक युवक की हालत सामान्य थी, जबकि दो की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। तीनों युवकों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने मोहित स्वामी (20) और अमन बाजीगर (19) को मृत घोषित कर दिया। तीसरे युवक मोहित थालौड़ (19) का अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि तीनों युवक सुरेशिया क्षेत्र के निवासी थे। हादसे की सूचना मिलने पर एसडीएम मांगीलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई और सदर थाना प्रभारी राकेश सांखला भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण लापरवाही सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

युवक का शव तालाब में मिला

जोधपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर स्थित गुरों का तालाब में एक व्यक्ति का शव मंगलवार को मिला। पहचान के बाद बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजन को सुपुर्द किया गया। वह अपनी पत्नी व बच्चों से अलग ही रहता था। उसने सुसाइड किया या गिरा, इस बारे में फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। प्रतापनगर थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि गुरों का तालाब में एक व्यक्ति का शव मंगलवार को मिला था, जिसकी बाद में पहचान मूलत : ब्यावर हाल संजय गांधी कॉलोनी निवासी सूरज प्रकाश के रूप में की गई।

- **युवक तालाब में गिरा या सुसाइड किया, जांच जारी**

थानाधिकारी ने बताया कि वह अपनी पत्नी व बच्चों से अलग रहता था। मंगलवार को पुजारी गुरों का तालाब की तरफ आए तो वह पानी में पड़ा दिखा। बाद में उसके परिजन भी मौके पर आ गए थे। शव को कार्रवाई कर परिजन के सुपुर्द किया गया है। वह तालाब में गिरा या सुसाइड किया इस बारे में अग्रिम जांच जारी है।

शव मिला

भरतपुर, (निसं)। अटल बंध थाना क्षेत्र में स्थित बी नारायण गेट के बाहर सीवर टैंक में एक व्यक्ति का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना पर कार्रवाई करते हुए एएसआई हरीश चन्द मय पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लोगों की मदद से शव को सीवर टैंक से बाहर निकाला। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत, जयपुर

क्रमांक :-4445 दिनांक :- 23.03.2026

ई-निविदा सूचना संख्या 09/2025-26

UBN No.:- NIB Code No.:-

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से कार्य Renovation of Anicut & Link Chhannel at khole ke Hanumanji Temple District Jaipur जिसकी अनुमानित लागत 127.07 लाख है। वित्त विभाग के नवीन नियमों के तहत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ई-निविदा के माध्यम से ई-प्रोक्यूमेन्ट प्रक्रिया हेतु आनलाईन निविदा आमत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 25.03.2026 प्रातः 9.30 से दिनांक 06.04.2026 को 6.00 बजे तक डाउनलोड एवं अपलोड की जा सकती है। निविदा की वित्तीय बिड दिनांक 07.04.2026 को दोपहर 3.00 बजे खोली जावेगी।
निविदा से संबंधित विवरण संबंधित वेवसाईट www.waterresources.rajasthan.gov.in, http://www.eproc.rajasthamgov in, http::/sppp.rajasthan.gov.in से देखी जा सकती है।
UBN No. :- WRD2526WSOB02832

अधीक्षण अभियंता
जल संसाधन वृत्त, जयपुर

DIPR/C/6229/2026

कार्यालय-सदस्य सचिव एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, सामान्य चिकित्सालय, करौली

क्रमांकः-रामेरिसो/ निविदा/2026-27/615 दिनांक :-23.03.2026

ई-निविदा सूचना संख्या 20/2026-27

कार्यालय सामान्य चिकित्सालय करौली में उपयोग हेतु सर्विस प्रदाता ऐजेन्सी से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुहरबंद ई-निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदा के नियम एवं शर्तें, स्पेसिफिकेशन, विवरण निविदा प्रपत्र में अंकित है। निविदा प्रपत्र एवं संबंधित दस्तावेज वेवसाईट eproc.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर देंखे एवं प्राप्त किए जा सकेंगे।

निविदा संख्या	सामान/कार्य का विवरण	अनु. लागत (लाखों में)	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रपत्र बिकी की अंतिम तिथी एवं समय	निविदा जमा कराने की अंतिम तिथी एवं समय	निविदा खोलने की तिथी एवं समय
20/ 2026-27	मैन पॉवर कम्प्युटर ऑपरेटर्स मशीन विद मैन, ब्लड बैंक काउन्सलर (MHS2526SSOB07826)	54.00	1000	02.04.2026 3.00 P.M.	02.04.2026 4.30 P.M.	06.04.2026 12.00 P.M.

नोट :- उक्त निविदा दिनांकों में यदि कोई राजकीय अवकाश / अन्य अवकाश, आकस्मिक रूप से घोषित होता है तो उक्त दिवस से सम्बन्धित निविदा कार्यवाही आगामी कार्य दिवस को सम्पन्न की जायेगी।

सदस्य सचिव एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
सामान्य चिकित्सालय, करौली

DIPR/C/6230/2026